सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 06 चैत्र, 1945 (श०) / 27 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग	01
(2)	गृह विभाग	01
(3)	उद्योग विभाग	01
	कुल योग --	03

विशेष अवकाश से संबंधित

77. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 मार्च, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "अफसरों का महिलाओं को देखने का नजरिया अलग-अलग, एक फैसले से लाखों महिला कर्मियों पर असर" को ध्यान में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में महिला कर्मियों को प्रतिमाह दो दिन का विशेष अवकाश अनुमान्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 से संविदा एवं बेल्ट्रॉन के माध्यम से आऊटसोर्स से नियुक्त महिला कर्मियों को भी विशेष अवकाश अनुमान्य है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विधि विभाग सहित एक दर्जन से अधिक विभागों में आऊटसोर्स एवं संविदा पर कार्यरत महिलाओं को देय विशेष अवकाश की सुविधा को दिनांक 10 मार्च, 2023 से बंद कर दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आऊटसोर्स एवं संविदा पर कार्यरत महिलाओं को विशेष अवकाश की सुविधा को बंद किये जाने का क्या औचित्य है ?

मंदिरों और मठों का पंजीकरण कराना

78. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों का निबंधन अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में लगभग 2000 मंदिर और मठ ऐसे हैं जो अभी भी पंजीकृत नहीं किये गये हैं एवं राज्य के 38 जिलों में मंदिरों और मठों के पास करीब 18,456.95 एकड़ जमीन है जिसका बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् (बी0एस0आर0टी0सी0) में पंजीकरण नहीं कराया गया है, जिससे मंदिरों एवं मठों की सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार हिन्दू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत सभी मंदिरों और मठों को बी0एस0आर0टी0सी0 से पंजीकृत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

79. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जुलाई, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "प्रदेश में बैंकों से एक प्रतिशत स्टार्टअप को ही दिया गया ऋण" के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं में एंजेल इन्वेस्टर का निबंधन नहीं होने के कारण स्टार्टअप बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मात्र 1 प्रतिशत स्टार्टअप को ही राज्य के बैंकों द्वारा ऋण दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्टार्टअप योजनाओं के उद्यमियों को राज्य के बैंकों से ऋण दिलाने हेतु कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) बिहार स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रुपया 500.00 करोड़ की प्रारंभिक कोष के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई, जो इस नीति के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है ।

(2) बिहार स्टार्टअप नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रमाणीकृत स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10.00 लाख रुपये मात्र की ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों के लिये दिये जाने का प्रावधान है । यदि स्टार्टअप एंजेल ग्रुप्स एवं कैटेगरी 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स से निवेश प्राप्त करते हैं तो स्टार्टअप को प्राप्त निवेश के समतुल्य मैचिंग लोन/सहायता प्रदान किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा रुपया 50.00 लाख तक है । इसके अतिरिक्त एक्सलरेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिये प्रति स्टार्टअप अधिकतम रुपया 3.00 लाख तथा घरेलू और विदेशी पेटेंट दाखिल करने से जुड़ी सभी लागतों का वहन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है ।

(3) बिहार स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत 300 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिसमें से 246 स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में ब्याज मुक्त ऋण कुल 1,637.93 लाख रुपये दिया गया है ।

पटना :
दिनांक 27 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 108(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550